न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :–146/2022

अनवान मुकदमा –

1. महेन्द्र कुमार पुत्र महावीर जाति गुसाईं निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. महावीर पुत्र नारायणगिरजाति गुसाईं निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. इन्द्रा पुत्री महावीर जाति गुसाईं निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. पुष्पा पुत्री महावीर जाति गुसाईं निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. किरणा पुत्री महावीर जाति गुसाईं निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. प्रिती पुत्री महावीर जाति गुसाईं निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- प्रतिवादीगण

–:वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा:–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता --- वादी
2. श्री बलवीर मोयलअधिवक्ता --- प्रतिवादी सं. 1 ता 5

–:: निर्णय :–

दिनांक – 01/06/2022

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का स्थाई पता वाद पत्र के शीर्षक के व्यवहार सहिंता के आदेश 6 नियम 14 ए के अनुसार सही अंकित किया गया है । वाद पत्र दो प्रतियों मय शपथ पत्र मे समर्पित प्रस्तुत किया गया है ।

वादी हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है तथा परस्पर सहदायिक एवं सहअंशदायी है। उक्त हिन्दु संयुक्त परिवार के कर्ता श्री नारायणगिर थे। सजरा खानदान पेश किया गया है।

प्रतिवादी सं. 1 के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 4 एनएसडब्ल्यू बी के खाता संख्या 39 के प0न0 46/340 की कुल 4.807 है0 कमाण्ड अ0क्षे0 में से 1/3 हिस्सा मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2076–79 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी [illegible] गई है।

वाद पत्र की [illegible] वर्णित कृषि भूमि पूर्व में वादी के दादा श्री नारायणगिर के नाम से दर्ज [illegible] थी उनके देहान्त के पश्चात् उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को विरासतन आंद हुई। इस प्रकार प्रतिवादी [illegible] के नाम वर्णित कृषि भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म [illegible] हिस्सा निहित हो चुका है। अर्सा दराज पूर्व वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के मध्य पारिवारिक सदस्यों व रिश्तेदारों ने वादग्रस्त कृषि भूमि का घरा घरू बंटवारा करवा दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:08:25 IST
Reason: SelfAttested

01.06.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

और घरा घरू बंटवारा के समय प्रतिवादी सं. 2 ता 5 ने अपना समस्त हक व हिस्सा वादी के हक में मौखिक रूप से त्याग कर दिया तत्पश्चात् वादी को वाद पत्र की दफा 3 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि प्राप्त हुई और उसी अनुसार वादी काबिज काश्त हुआ लेकिन वर्तमान राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज होने से वादी की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिए वादी वाद पत्र की दफा 3 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि की घोषणा करवाने का अधिकारी है जिसमें से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कल्मजन किया जावे।

अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जाकर घोषित किया जावे :-

घोषित किया जावे कि चक 4 एनएसडब्ल्यू बी के खाता सख्या 39 के प0न0 46/340 की कुल 4.807 है0 में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित 1/3 हिस्सा का वादी खातेदार काश्तकार है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 5 मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष के वकीलों द्वारा पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्व होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया।बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512 आरटीए की धारा 40-53, 38-39-40, आरआरडी 1966 पेज 71 एआईआर 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975-478, एआईआर 1966 (एससी) 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आरटीए की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के पत्रांक प. 5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषको में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उताराधिकार विधि के अनुसार का पैतृक सम्पंति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र का पैतृक सम्पति में से जोत का विभाजन करवा सकता है।

एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव [illegible] उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो [illegible] समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:08:25 IST
Reason: SelfAttested

:: आदेश ::

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन

01.06.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि वादीएवं प्रतिवादी सं. 1 व 5की पैतृक खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि चक 4 एनएसडब्ल्यू बी के खाता सख्या 39 के प0न0 46/340 की कुल 4.807 है0 में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित 1/3 हिस्सा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

01.06.2022

(रणजीत कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:08:25 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्‌में इब्तदाई
(आ0–20 रूल 6, 7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस
मुकदमा संख्या :– 146/2022

अनवान मुकदमा –

1. महेन्द्र कुमार पुत्र महावीर जाति गुसाईं निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

–– वादी

बनाम

1. महावीर पुत्र नारायणगिर जाति गुसाईं निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. इन्द्रा पुत्री महावीर जाति गुसाईं निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. पुष्पा पुत्री महावीर जाति गुसाईं निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. किरणा पुत्री महावीर जाति गुसाईं निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. प्रिती पुत्री महावीर जाति गुसाईं निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

–– प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा:–

–:: निर्णय ::–

दिनांक – 01/06/2022

वादीकी ओर से श्री हीरालाल बिरथलियाअधिवक्ताएवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की ओर श्री बलवीर मोयल, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार आरएएस उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88केअन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि चक 4 एनएसडब्ल्यू बी के खाता सख्या 39 के प0न0 46/340 की कुल 4.807 है0 में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित 1/3 हिस्सा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थंगन नही हो तथा भूमि रहन मुक्त हो तो नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:08:25 IST
Reason: SelfAttested

01.06.2022
(रणजीत कुमारRAS)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा